<u>नए पंजीयन आवेदन के साथ भेजे जाने वाले अनुल्गनकों की सूची</u>

1. आर.एन.आई. द्वारा जारी शीर्षक सत्यापन पत्र की प्रति
2. प्रकाशक द्वारा भरे गये घोषणापत्र (फार्म-I) तथा डी.एम./डी.सी./एस.डी.एम/जे.सी.पी./सी.एम.एम. द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित। (यदि मुद्रक प्रकाशक नहीं है तो ऐसे मामले में मुद्रक द्वारा अलग से घोषणा करना अनिर्वाय है)
3. प्रिंटिंग प्रेस के कीपर तथा आवधिक के स्वामी के मघ्य एक लिखित घोषणा, जिसमें दोनों पक्षों के हस्ताक्षर एवं पदनाम उल्लिखित हों, देनी होगी। (यदि प्रिंटिंग प्रेस का कीपर तथा आवधिक का स्वामी एक ही व्यक्ति है, तो यह घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है)
4. डी.एम./डी.सी./एस.डी.एम/जे.सी.पी./सी.एम.एम द्वारा विधिवत अधिप्राणित घोषणा के बाद प्रथम अंक की एक प्रति (अर्थात खण्ड/वर्ष-1, अंक-1)

   प्रकाशक कृपया यह <u>सुनिश्चित</u> कर लें कि:-

   I. यदि समाचारपत्र साप्ताहिक अथवा उससे कम अवधि का है तो घोषणा के अधिप्रमाणन की तारीख से 42 दिनों के भीतर प्रथम अंक निकाल दिया जाए, अन्य समाचारपत्रों/आवधिकों के लिए 90 दिनों के भीतर निकाला जा सकता है।

   II. प्रथम अंक में स्पष्ट रूप से आवरण पृष्ठ पर वर्ष-1, अंक -1 मुद्रित हो

   III. अंक में मुद्रित शीर्षक, पृष्ठों की संख्या तथा प्रकाशन की तारीख/महीना/वर्ष का उल्लेख हो।

   IV. शीर्षक/मास्ट हेड एक समान फोंट/अक्षर आकार में प्रदर्शित हों। इसमें परिवर्तन 25% से अधिक नहीं हो।

   V. प्रकाशित समाचारपत्र/आवधिक में सार्वजनिक समाचार, विचार अथवा टिप्पणियां शामिल हों।

   VI. समाचारपत्र/आवधिक उसी भाषा में प्रकाशित किया जाए जिसे आर.एन.आई. ने सत्यापित किया है।

   VII. शीर्षक को अक्षरों/शब्दों के स्थान पर प्रतीकों, ग्रैफिक्स एवं भावों के प्रयोग से बचा जाए।

   VIII. प्रत्येक प्रकाशित अंक में इम्प्रिंट लाईन निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं सही सूचना दी जाए ------------------------ द्वारा प्रकाशित -------------------------- द्वारा मुद्रित (प्रिंटिंग प्रेस का नाम तथा उसका पूरा पता) ----------------- से प्रकाशित (प्रकाशन स्थल का पूरा पता ठीक वही जो प्रपत्र-1 के कॉलम -6 में दिया है), संपादक ---------------- (अंग्रेजी अथवा हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में प्रकाशित पत्र पत्रिका के मामले में संदर्भ हेतु इंप्रिंट लाइन अंग्रेजी/हिन्दी में होना चाहिए ।

   IX. इंप्रिंट लाइन में संपादक का नाम वही होना चाहिए जैसा घोषणापत्र में वर्णित है। प्रमुख संपादक, उप संपादक, मुख्य संपादक, निवासी संपादक आदि का उल्लेख इंप्रिंट लाइन के भाग के रूप में नहीं होना चाहिए ।

5. स्वामी द्वारा किसी व्यक्ति को (नामशः) लिखित में एक प्राधिकरण पत्र दिया जाना चाहिए ताकि यदि घोषणा करने वाला प्रकाशक अथवा मुद्रक स्वामी ना हो तो वह प्रकाशक मुद्रक के रूप में घोषणा कर सके ।